

काली बजार VIT

वार्ड सं. 17/2021

तारीख
हुआ

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामील
में जारी हुए

22/11/24

पत्रावली पेश हुई | वार्ड की 21/11/24
पुस्तक प्रकाश देते दिनांक 21/11/24
को पेश हो

21/11/24

पत्रावली पेश हुई | आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है | पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है | पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 24/11/25 को पेश हो |

आदेश से रीडर

24/11/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है | पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 18/12/25 को पेश हो |

आदेश से रीडर

18/12/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है | पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 10/3/25 को पेश हो |

आदेश से रीडर

10/3/25

पत्रावली पेश हुई | आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है | पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है | पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 20/3/25 को पेश हो |

आदेश से रीडर

20/3/25

पत्रावली पेश हुई | वार्ड की 20/3/25
अनुपस्थित | वार्ड की 20/3/25
की नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया | वार्ड की 20/3/25
से वार्ड की आवाजें नहीं आया |

लगातार - 20/3/25

सहायक कलम
भीलवाड़ा

काली नानाज सायबल नगर विकास न्यास

नारीस
हुम


हुम या कार्यवाही मय इतिहासका पण

नम्बर व तारीख
आवकाम जो हुम
हुम की तारीख
में जारी हुए

वाद सं. - 17/2021

20/3/2025

की पुनः एकवार आवाज लगवाई गई, पर-तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5-50 PM ही युका है। बादीगण एवं वकी आदिबला के उपस्थित नहीं होने से बादीगण द्वारा उल्लुत बाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान कायदाकारी आदिनियम को अदम हाजरी अदम परकी में खारिज किया जाया है। निधिय कर इजलास सुनाया गया। डिडी परची जारी है। प्रभावली न्यास नुमार होकर दाखिल दफ्तर ही तथा नम्बर से कम है।


20/3/2025
सहायक कलक्टर
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. काली पुत्री बाबुलाल बलाई, निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी उज्जेन म0 प्र0
2. भूरी पुत्री बाबुलाल बलाई, निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी उज्जेन म0 प्र0
3. जमना पुत्री बाबुलाल बलाई, निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी उज्जेन म0 प्र0
4. फुमा बेवा बाबुलाल बलाई, निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी उज्जेन म0 प्र0

वादीगण

बनाम

1. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा जरिये सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 17/2021 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री अमित कोठारी अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 20.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

20/3/2025

(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा